(TO BE PUBLISHED IN PART IV OF THE DELHI GAZETTE EXTRAORDINARY) GOVERNMENT OF NATIONAL CAPITAL TERRITORY OF DELHI FINANCE (TAXES & ESTABLISHMENT) DEPARTMENT DELHI SECRETARIAT, LEVEL-4-A, I.P.ESTATE, NEW DELHI-110 002

No.F.3 (73)/Fin. (T&E)/2005-06/

Dated, the Oct., 2007

NOTIFICATION

No.F.3 (73)/Fin. (T&E)/2005-06/ - In exercise of the powers conferred by clause (d) of sub-section (10) of section 3 of the General Clauses Act,1897 (X of 1897) as adapted by the Adaptation of Laws Order,1950, read with the Government of India's S.R.O. No. 2123 dated the 12th November,1953, the Lt. Governor of the National Capital Territory of Delhi is pleased to appoint Smt. Nutan Guha Biswas, I.A.S., Secretary (Revenue) -cum- Divisional Commissioner, Delhi, as the Chief Controlling Revenue Authority for the National Capital Territory of Delhi, with effect from the date she assumed charge of the office of the Secretary (Revenue) -cum-Divisional Commissioner, till further orders.

By order and in the name of the Lt. Governor of the National Capital Territory of Delhi,

(DALJIT SINGH)
Dy. Secretary Finance (T & E)

No.F.3 (73)/Fin. (T&E)/2005-06/clsf(e) 743 Dated, the 18 Oct., 2007 Copy forwarded to:

- 1. The Secretary, GAD, Government of NCT of Delhi with one spare copy for its publication Delhi Gazette part –IV (extraordinary).
- 2. The Secretary, (Revenue), Government of NCT of Delhi, 5 Sham Nath Marg, Delhi.
- 3. The Divisional Commissioner, Government of NCT of Delhi, 5 Sham Nath Marg, Delhi.
- 4. O.S.D. to Lieutenant Governor, L.G. Secretariat, Raj Niwas, Delhi
- 5. The Legislative Counsel, Government of NCT of Delhi, Delhi Secretariat, Delhi.

6 / Guard file.

(DALJIT SINGH)
Dy. Secretary Finance (T & E)

दिल्ली राजपत्र भाग-4 (असाधारण) में प्रकाशनार्थ राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली सरकार वित्त (स्था. व कर) विभाग दिल्ली सचिवालय, आई.पी. ईस्टेट, नई दिल्ली-110002

सं.फा. 3(73)/वित्त (कर व स्था.)/2005-06/

दिनांक

अधिसूचना

सं.फा. 3(73)/वित्त (कर व स्था.)/2005-06/ भारत सरकार के दिनांक 12 नवम्बर, 1953 के एसआरओ सं0 2123 के साथ पठित अनुकूलन विधियां आदेश 1950 द्वारा यथाअनुकूलित सामान्य खण्ड अधिनियम,1897 (1897 का 10) की धारा 3 की उप-धारा 10 के खण्ड (घ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उप-राज्यपाल, श्रीमित नूतन गृहा बिस्वास, भा.प्र.से., सिवव (राजस्व) और मण्डल आयुक्त, दिल्ली को पद ग्रहण करने की तिथि से आगामी आदेश तक राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के लिए मुख्य राजस्व नियंत्रक प्राधिकरण के रूप में नियुक्त करते हैं।

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उप-राज्यपाल के आदेश से तथा उनके नाम पर

(दलजीत सिंह) उप-सचिव वित्त (कर व स्था)

सं.फा. 3(73)/वित्त (कर व स्था.)/2005-06/ डी रग्स रग्म टी डी नेपउ

दिनांक 18/10/2004

- 1. सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग,राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र,दिल्ली सरकार को एक अतिरिक्त प्रति सहित दिल्ली राजपत्र भाग-4 (असाधारण) में आज की तिथि में प्रकाशनार्थ ।
- 2. सचिव, राजस्व,राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र,दिल्ली सरकार, 5, शामनाथ मार्ग, दिल्ली ।
- 3. मंडल आयुक्त,राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र,दिल्ली सरकार, 5, शामनाथ मार्ग, दिल्ली ।
- 4. विशेष कार्याधिकारी, उप-राज्यपाल, उप-राज्यपाल सचिवालय, राज निवास, दिल्ली ।
- 5. विधायी सलाहकार, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र,दिल्ली सरकार,सचिवालय, दिल्ली ।
- 6/ गार्ड फाइल ।

(दलजीत सिंह)

उप-सचिव वित्त (कर व स्था)